1-

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद उ0प्र0।

पत्रांकः हा0हो0सर्वे/2138 /2010-11 लखनऊ   दिनांकः 21 जुलाई, 2010

विषयः **हाउस होल्ड सर्वे 2010-11 के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण कर उन्हें विद्यालयों में नामांकित कराने हेतु प्रभावी रणनीति विकसित कर समयबद्ध कार्यवाही करने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में सर्वेक्षण का कार्य 01 अगस्त, 2010 से सम्पन्न कराया जायेगा।

सामान्य निर्देश

- **हाऊस होल्ड सर्वे प्रत्येक बस्ती/मजरे का किया जायेगा जिसमें 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विवरण एकत्रित किया जायेगा।**
- सर्वेक्षण अध्यापकों /शिक्षामित्रों द्वारा किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों/वार्ड शिक्षा समितियों के सदस्यों का यथासम्भव योगदान प्राप्त किया जाए। नगर क्षेत्रों हेतु स्वयं सेवी संगठनों, डूडा के अन्तर्गत गठित सी0डी0एस0 की कार्यकर्त्रियों, सिविल डिफेन्स, रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना अन्य सरकारी विभाग यथा श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि का सहयोग लिया जा सकता है।
- बस्तीवार /मजरेवार अध्यापकों/शिक्षामित्रों की ड्यूटी लगा कर प्रत्येक बस्ती/मजरे के हर घर / परिवार का आच्छादन सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति पर ग्राम शिक्षा रजिस्टर (बाल गणना रजिस्टर) (**संलग्नक -1 व 2**) में उस ग्राम पंचायत के 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का नामवार विवरण रखा जायेगा। इसी प्रकार नगर क्षेत्रों में वार्ड शिक्षा रजिस्टर में भी बच्चों के नामवार विवरण रखे जायेंगें। इस प्रपत्र में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रपत्र के अनुसार ही ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर (बाल गणना रजिस्टर) का निर्माण कराया जायेगा।
- ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर (बाल गणना रजिस्टर) प्रत्येक ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति पर तैयार कराया जायेगा जिसके रख रखाव के लिये सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / सचिव, ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति जिम्मेदार होंगें। रजिस्टर में बच्चों के नाम सहित विवरण बस्तीवार रखा जाएगा। बाल गणना

D:\PRATIBHA\House hold survey\HHS July 2010 BSA Letter\HHS 2010-11\BSA HHS Year 2010-11corrected.doc

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upeduko@sth.net

रजिस्टर की एक प्रति क्षेत्र के सम्बन्धित विद्यालयों में रखी जायेगी। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6-11 एवं 11-14 वय वर्ग के चिन्हित बच्चों का विवरण रखा जायेगा।

☞ ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर के आधार पर ग्राम शिक्षा समितिवार/वार्ड शिक्षा समितिवार संकलन प्रपत्र पर विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चों का आयुवार, वर्गवार एवं कारणवार विवरण का संकलन किया जायेगा (**प्रारूप संलग्नक-2**)।

☞ ग्राम शिक्षा/वार्ड शिक्षा समितिवार संकलन के आधार पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर संकलन प्रपत्र तैयार किया जायेगा तथा इसी आधार पर विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर संकलन प्रपत्र तथा नगर क्षेत्र में वार्डवार संकलन प्रपत्र तैयार कर चिन्हित बच्चों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

☞ **सर्वे पूर्ण करने के पश्चात ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति यह प्रमाण पत्र देगी कि उसकी ग्राम सभा/वार्ड में कोई परिवार/बच्चा सर्वे से छूटा नहीं है। (संलग्नक-4)**

<u>नगरीय क्षेत्र में कराये जाने वाले सर्वे से सम्बन्धित बिन्दु</u>

☞ विगत वर्षो में यह देखा गया है कि नगर क्षेत्रों में हाऊस होल्ड सर्वे पूरे नगर का नहीं हो पाया था। अतः नगर क्षेत्रों में अध्यापकों/शिक्षामित्रों की ड्यूटी वार्डवार/मुहल्लेवार लगाई जाए ताकि सभी वार्ड/मुहल्लों का <u>आच्छादन</u> हो सके। इस हेतु अन्य सरकारी /गैर सरकारी संस्थाओं से भी सहयोग किया जाये।

☞ नगरीय क्षेत्रों में 6-14 वय वर्ग के ऐसे भी अनेक बच्चे हैं जो किसी स्थायी निवास में नहीं रहते हैं, अपितु सार्वजनिक स्थलों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मलिन बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी, ढ़ाबा इत्यादि में रहते हैं, कारखानों, ईट भट्टों आदि में कार्य करते है। <u>ऐसे बच्चे जो स्थायी निवास न होने या परिवार की परिधि में न होने के कारण छूट जाते हैं, उन बच्चों का सर्वेक्षण विशेष रुप से कराया जाये।</u>

<u>सर्वे के समय माईग्रेटरी बच्चों के सम्बन्ध में सूचना संकलन के सम्बन्ध में बिन्दु</u>

☞ हाऊस होल्ड सर्वे के समय माइग्रेट करने वाले बच्चों के सम्बन्ध में भी सूचना अवश्य प्राप्त की जाये जिससे इन बच्चों के जनपद में प्रवास की अवधि का बच्चेवार विवरण तैयार किया जा सके।

☞ **यदि ग्राम सभा/वार्ड से कोई परिवार माइग्रेट होता है या कोई परिवार/बच्चा दूसरे स्थान से माइग्रेट होकर गांव/वार्ड में आता है तो उसकी सूचना ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति के सचिव द्वारा सर्वे रजिस्टर पर अद्यतन की जायेगी।**

☞ **माइग्रेट कर गये बच्चों का पूर्ण विवरण माइग्रेट करने वाले स्थान के जनपद/प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा ताकि उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जा सके।**

☞ हाऊस होल्ड सर्वे के समय माइग्रेटरी बच्चों की सूचना एक प्रारुप पर अलग एक रजिस्टर में संकलित की जायेगी, जिसमें माइग्रेट कर गये बच्चे कब, कहां, कब तक, कब गये, कब वापस आयेंगे आदि कालम को सम्मिलित किया जाये।

☞ माइग्रेट होकर आने वाले बच्चों का विवरण प्रपत्र **संलग्नक 3** पर अलग रजिस्टर में एकत्रित किया जाये।

जनवाचन/जन समुदाय को प्रेरित कर हाउस होल्ड सर्वे

☞ जनपदों में कराये जाने वाले हाऊस होल्ड सर्वे की अद्यतन सूचना प्रचार प्रसार से, जनवाचन को प्रेरित कर, जन वाचन से टिप्पणियां आमंत्रित कर की जाये तथा हाऊस होल्ड सर्वे के डाटा की शेयरिंग जनवाचन व समुदाय के साथ अवश्य की जाये।

☞ **सर्वे पूर्ण करने के पश्चात ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति की बैठक में आउट आफ स्कूल बच्चों के नाम पढ़कर सुनाये जायेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई बच्चा सर्वे से छूटा नहीं है तथा विद्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाये।**

हाऊस होल्ड सर्वे हेतु समय-सारणी

हाऊस होल्ड सर्वे हेतु समय-सारणी निम्नवत् है-

क्रम0स	कार्यवाही	तिथि
1	जनपद स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयकों हेतु जनपद स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला	26 जुलाई, 2010 तक
2	ब्लाक स्तरीय कार्यशाला जिसमें सर्वे कर्ता अध्यापक सम्मिलित होगें एक दिवसीय (दो फेरों में)	29 जुलाई व 30 जुलाई, 2010
3	सर्वे की तिथि	1-15 अगस्त, 2010
4	सर्वे का संकलन ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड के स्तर पर	20 अगस्त, 2010
5	न्याय पंचायत स्तर पर	25 अगस्त, 2010
6	ब्लाक स्तर पर	30 अगस्त, 2010
7	जनपद स्तर पर	31 अगस्त, 2010
8	राज्य स्तर पर	05 सितम्बर, 2010

सर्वे अवधि में विभिन्न स्तरों से सर्वे के सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु बिन्दु

सर्वे अवधि में विभिन्न स्तरों से सर्वे के सत्यापन एवं अनुश्रवण व्यवस्था निर्धारित की गयी जिसकी विस्तृत कार्ययोजना **संलग्नक-5** पर संलग्न है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-

☞ ग्राम सभा/वार्ड सभा स्तर से विद्यालय प्रबन्ध समिति/ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में प्रत्येक बस्ती/मजरे का प्रतिदिन अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किया जाये। स्थलीय सत्यापन के समय इस बात का सत्यापन अवश्य किया जाये कि सर्वेकर्ता द्वारा सर्वे किये गये परिवारों में बच्चों के नाम, विद्यालय जाने की स्थिति में विद्यालय का नाम तथा कक्षा एवं विद्यालय न जाने की स्थिति में कारण का अंकन किया गया हो।

☞ न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयक का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में प्रत्येक मजरे/बस्ती का कम से कम एक बार अनुश्रवण अवश्य किया जाये। अनुश्रवण में सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की विद्यालयवार एवं ग्राम सभा वार उपलब्धता, सर्वे रजिस्टर एव प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा अवश्य की जायें। न्याय पंचायत समन्वयक द्वारा सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन भी किया जाये **तथा सर्वेक्षण का कान्सालिडेशन तैयार कर निर्धारित तिथि तक बी0आर0सी0/नगर क्षेत्र स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।**

☞ विकासखण्ड स्तर/नगर क्षेत्र स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयक /सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में स्वयं कम से कम 20-20 ग्राम सभाओं/वार्ड का एक बार अनुश्रवण अवश्य किया जाये। उक्त अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन किया जाये तथा न्याय पंचायत समन्वयक द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण भी किया जाये तथा **विकास खण्ड स्तर पर प्राप्त सर्वेक्षण का कान्सालिडेशन तैयार कर निर्धारित तिथि तक जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला समन्वयकों को उपलब्ध करायेंगें।**

☞ जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में कम से कम 05 ग्राम सभा तथा नगर क्षेत्र के 05 वार्डों का सत्यापन व अनुश्रवण अवश्य किया जाये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वे से पूर्व सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की विकासखण्ड स्तर पर उपलब्धता, सर्वे से पूर्व जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण आदि सुनिश्चित करायेंगें। साथ ही सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण भी करेंगे।

☞ **जनपद स्तर पर तैनात सभी जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, समेकित शिक्षा, प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा)** का यह दायित्व होगा कि इनके द्वारा सर्वे अवधि में कम से कम 15 ग्राम सभाओ/वार्डो का सत्यापन व अनुश्रवण किया जाये साथ ही सर्वे का रेण्डम स्थलीय सत्यापन तथा सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों की समीक्षा तथा अवलोकन किया जाये।

☞ मण्डल स्तर से मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में प्रत्येक जनपद की कम से कम 2 ग्राम सभाओं तथा 2 वार्डो का स्थलीय सत्यापन किया जाये

परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

आयु वर्गः– 6–14 वर्ष

सर्वेक्षित बस्ती/मजरे में कुल परिवारों की संख्या –

जनपद का नाम

ब्लाक/जोन क्षेत्र का नाम

मजरे का नाम

वार्ड संख्या

न्याय पंचायत का नाम

ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम

क्र.स	पिता का नाम	शैक्षिक योग्यता	बी.पी.एल. अथवा ए0पी0एल	पता मकान नम्बर सहित	बच्चों के नाम	समाजिक वर्ग (समा. /अनु0जा0/अ0ज0जा0 /पि0जा0/अल्प संख्यक)	बच्चे का		परिवार घुमन्तू है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो किस व्यवसाय/ कार्य से माइग्रेट करता है।	क्या परिवार सहित माइग्रेट करता है (हां/नहीं)	माइग्रेशन की अवधि (कब से कब तक)	माइग्रेशन का स्थान	यदि विकलांगता हो तो विकलांगता का प्रकार	निकटतम प्रा0 वि0 की दूरी	निकटतम उ0प्रा0वि0 की दूरी	क्या विद्यालय में नामांकन हुआ है अथवा नहीं	यदि विद्यालय में नामांकन हुआ है तो			यदि इस समय नामांकित नहीं है तो क्या वह कभी किसी विद्यालय में नामांकित हुआ था			
																				यदि हाँ		यदि नहीं	
							लिंग	आयु									विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	कौन सी कक्षा	पूर्ण की हुई अधिकतम कक्षा	स्कूल छोड़ने का कारण	नामांकन न कराने का कारण	वर्तमान समय में बच्चे का व्यवसाय
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

विद्यालय न जाने के कारणों में निम्नलिखित का उल्लेख करें:–

कारण

1– अपने घर के कार्यों में लगा रहना
2– कचरा बीनना/स्टेशन/बस स्टेशन आदि पर
3– घरेलू नौकर
4– ईंट भट्टों व खदानों में काम करना
5– गैराज/फैक्टरी में काम करना
6– कृषि व्यवसाय
7– पुश्तैनी दस्तकारी
8– छोटे होटलो/ढाबों में काम करना
9– भाई बहनों की देख भाल करना
10– विद्यालय दूर होने का कारण
11– कक्षा–कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना
12– शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना
13– पढ़ाई में कठिनाई के कारण
14– शिक्षक/शिक्षा मित्र न होने के कारण
15–परिवार घूमन्तू होने के कारण
16– गरीबी के कारण
17– अन्य
योग

विद्यालय का प्रकार में निम्नलिखित का उल्लेख करें–

विद्यालय का प्रकार

1 शासकीय विद्यालय
2 सहायता प्राप्त विद्यालय
3 मान्यता प्राप्त विद्यालय
4 मान्यता प्राप्त मदरसा
5 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा
6 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय
योग

विकलांगता के प्रकार में निम्नलिखित उल्लेख करें

1. शारीरिक अक्षमता
2. मानिसिक अक्षमता
3. सुनना/बोलना
4. दृष्टि
5. अधिगम अक्षमता
6. बहुआयामी अक्षमता
7. अन्य

सर्वेकर्ता का नाम
विद्यालय का नाम
पद
हस्ताक्षर

संलग्नक–3

माइग्रेन्ट/प्रवासी बच्चों का विवरण

भाग-ए (आने वाले प्रवासी बच्चों हेतु)

(प्रत्येक प्रवासी बच्चे/परिवार के लिये अलग प्रपत्र प्रयोग में लाया जाये)

ब्लाक /जोन का नाम ....

बस्ती/मजरे/वार्ड का नाम ....

1. प्रवास का प्रकार — (अभिभावक के साथ प्रवास- i, बिना अभिभावक के प्रवास- ii, बिना व्यस्क संरक्षण के प्रवास- iii,बिना बच्चों के अभिभावकों का प्रवास- iv)
2. यदि 1 का उत्तर (i) है तो
   - 2.1 पिता/अभिभावक का नाम..
   - 2.2 माता/अभिभावक का नाम..
   - 2.3 पिता/अभिभावक का व्यवसाय..
   - 2.4 माता/अभिभावक का व्यवसाय..
3. परिवार/बच्चे का मूल निवास — राज्य..............................जिला...............................ब्लाक...
   ग्राम... बस्ती...
4. माइग्रेशन का कारण — ....
5. यदि उत्तर 1 का (ii) या (iii) है — बच्चे के आवास का प्रकार..
6. **बच्चे के सम्बन्ध में अन्य विवरण**

क्र.सं.	बच्चे का नाम	लिंग	आयु	माइग्रेशन का वर्ष/माह	यदि नामांकन हुआ है तो कक्षा	माइग्रेशन से पूर्व अन्तिम कक्षा	स्कूल न जाने का कारण	कक्षा शिक्षण का माध्यम	मातृभाषा	क्या बच्चे ने टी.0सी0 प्राप्त किया	इस स्थान पर व्यवसाय की प्रकृति	क्या परिवार पहले भी इस स्थान पर आया है	लौटने का महीना

***यदि बिना बच्चों के अभिभावकों का प्रवास है तो अलग-अलग प्रपत्र के स्थान पर एक ही प्रपत्र पर सूचना संकलित की जाये।**

हस्ताक्षर

संलग्नक -2

परिवार सर्वेक्षण संकलन प्रपत्र (सार वर्ष- 2010-11)

जनपद का नाम :

विकास खण्ड / जोन का नाम

सन्दर्भ तिथि : सर्वे तिथि

बस्ती / मजरे / वार्ड का नाम

निकटतम परिषदीय प्रा0वि0 का नाम उ0प्रा0वि0 का नाम

निकटतम प्रा0वि0 की दूरी उच्च प्रा0वि0 की दूरी

2 कुल बच्चों की संख्या

जाति (1)	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
सामान्य																					
अनुसूचित जाति																					
अनुसूचित जनजाति																					
पिछड़ी जाति																					
अल्प संख्यक																					
योग																					

3 कुल बच्चों में से विकलांग बच्चों की संख्या

जाति	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
सामान्य																					
अनुसूचित जाति																					
अनुसूचित जनजाति																					
पिछड़ी जाति																					
अल्प संख्यक																					
योग																					

4 स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या

जाति	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
सामान्य																					
अनुसूचित जाति																					
अनुसूचित जनजाति																					
पिछड़ी जाति																					
अल्प संख्यक																					
योग																					

5 स्कूल जाने वाले बच्चों में विकलांग बच्चों की संख्या

जाति	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
सामान्य																					
अनुसूचित जाति																					
अनुसूचित जनजाति																					
पिछड़ी जाति																					
अल्प संख्यक																					
योग																					

स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या

6 बच्चों की संख्या जो कभी विद्यालय न गये हो

जाति	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
सामान्य																					
अनुसूचित जाति																					
अनुसूचित जनजाति																					
पिछड़ी जाति																					
अल्प संख्यक																					
योग																					

7 विद्यालय न जाने वाले ऐसे बच्चों की संख्या जिनका कभी नामांकन हुआ था किन्तु बाद में विद्यालय छोड़ा

जाति	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
सामान्य																					
अनुसूचित जाति																					
अनुसूचित जनजाति																					
पिछड़ी जाति																					
अल्प संख्यक																					
योग																					

कुल स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 8 (योग 6+7)

जाति	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
सामान्य																					
अनुसूचित जाति																					
अनुसूचित जनजाति																					
पिछड़ी जाति																					
अल्प संख्यक																					
योग																					

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का कारण

कारण	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
1 अपने घर के कार्यों में लगा रहना																					
2- कचरा बीनना / स्टेशन / बस स्टेशन आदि पर																					
3- घरेलू नौकर																					
4- ईंट भट्टों व खदानों में काम करना																					
5- गैराज / फैक्टरी में काम करना																					
6- कृषि व्यवसाय																					
7- पुश्तैनी दस्तकारी																					
8- छोटे होटलों / ढाबों में काम करना																					
9- भाई बहनों की देख भाल करना																					
10- विद्यालय दूर होने का कारण																					
11- कक्षा-कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना																					
12- शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना																					
13 पढ़ाई में कठिनाई के कारण																					
14- शिक्षक / शिक्षा मित्र न होने के कारण																					
15-परिवार घुमन्तू होने के कारण																					
16- गरीबी के कारण																					
17- अन्य																					
योग																					

विकलांगता के प्रकार

कारण	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
1 शारीरिक अक्षमता																					
2 मानसिक मन्दता																					
3 सुनना / बोलना																					
4 दृष्टि																					
5 अधिगम अक्षमता																					
6 बहु आयामी अक्षमता																					
7 अन्य																					
योग																					

स्कूल जाने वाले बच्चों का विद्यालयवार विवरण

विद्यालय का प्रकार	बालक (वर्ष में)										बालिका (वर्ष में)										कुल योग
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग	
1 शासकीय विद्यालय																					
2 सहायता प्राप्त विद्यालय																					
3 मान्यता प्राप्त विद्यालय																					
4 मान्यता प्राप्त मदरसा																					
5 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा																					
6 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय																					
योग																					

संलग्नक–4

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वे अवधि ....से ....तक ग्राम सभा/वार्ड ....
..............विकासखण्ड/नगर क्षेत्र..जनपद .... के समस्त परिवारों के 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को सर्वे में सम्मिलित कर लिया गया है। सर्वे में ग्राम सभा/वार्ड..का कोई परिवार/बच्चा सर्वे से छूटा नहीं है।

हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..
नाम..	नाम...
प्रधानाध्यापक.................................	ग्राम प्रधान/सभासद..............................
विद्यालय का नाम.........................	ग्राम सभा/वार्ड..

संलग्नक–5

सर्वे का अनुश्रवण

स्तर	अनुश्रवणकर्ता	अनुश्रवण की बारम्बारता	अनुश्रवण के मुख्य बिन्दु	प्रस्तावित कार्यवाही
ग्राम सभा / वार्ड स्तर	स्कूल प्रबन्ध समिति / ग्राम / वार्ड शिक्षा समिति के सदस्य	सर्वे अवधि में प्रत्येक बस्ती / मजरे में प्रतिदिन	• सर्वेकर्ता द्वारा सर्वे किये गये परिवारों में बच्चों के नाम, स्कूल जाने की स्थिति में स्कूल का नाम तथा कक्षा एवं स्कूल न जाने की स्थिति में कारण का सत्यापन। • आउट ऑफ स्कूल बच्चों के अभिलेखीकरण का सत्यापन।	• सर्वे से छूट गये परिवारों अथवा किसी परिवार में सर्वे से वंचित रह गये बच्चे को पूर्ण विवरण के साथ सर्वे में सम्मिलित कराना। • सर्वे कर्ता को सर्वे में सहयोग प्रदान करना। • सर्वे को समय से पूर्ण कराकर न्याय पंचायत स्तर पर प्रेषित कराना।
न्याय पंचायत	न्याय पंचायत समन्वयक	सर्वे अवधि मे प्रत्येक मजरे / बस्ती का कम से कम एक बार	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की विद्यालयवार एवं ग्राम समावार उपलब्धता • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा	• घर–घर जा कर सर्वे न करने वाले अध्यापक की सूचना तथा निरीक्षण आख्या सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना। • प्रत्येक ग्राम सभा एवं विद्यालय स्तर पर सर्वे प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
विकासखण्ड स्तर / नगर क्षेत्र	बी.आर.सी. समन्वयक / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी	सर्वे अवधि में स्वयं कम से कम 20–20 ग्राम सभाओं / वार्ड का एक बार	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की विद्यालयवार एवं ग्राम समावार उपलब्धता • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा • न्याय पंचायत समन्वयक द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण	• प्रत्येक ग्राम सभा एवं विद्यालय स्तर पर सर्वे प्रपत्रों एवं सर्वे रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विकास खण्ड स्तर पर सर्वे कर्ता अध्यापकों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आयोजित कराना। • घर–घर जा कर सर्वे न करने वाले अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही एवं त्रुटि रहित सर्वे कराने हेतु प्रधानाध्यापक को निर्देश। • निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।
जनपद स्तर	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सर्वे अवधि में कम से कम 5 ग्राम सभा तथा नगर क्षेत्र के 5 वार्ड	• सर्वे से पूर्व सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की विकासखण्ड स्तर पर उपलब्धता। • सर्वे से पूर्व जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की विकासखण्ड स्तर पर निर्धारित समय में उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विकास खण्ड स्तर पर सर्वे हेतु निर्धारित प्रशिक्षण का अनुश्रवण। • घर–घर जा कर सर्वे न करने वाले अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही एवं त्रुटि रहित सर्वे कराने हेतु प्रधानाध्यापक को निर्देश।

10

			समीक्षा • सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण	• निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराना। • ब्लाक स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों के साथ बैठक कर ग्राम सभावार सर्वे की समीक्षा।
	जिला समन्वयक	सर्वे अवधि में कम से कम 15 ग्राम सभाओं/वार्ड का सत्यापन	• सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा	• त्रुटि रहित सर्वे कराने हेतु प्रधानाध्यापक को निर्देश। • निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय, शिक्षा निदेशक बेसिकएवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।
मण्डल स्तर	सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)	सर्वे अवधि में प्रत्येक जनपद की कम से कम 2 ग्राम सभाओं तथा दो वार्डों का स्थलीय सत्यापन	• सर्वे से पूर्व सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की जनपद स्तर पर उपलब्धता। • सर्वे से पूर्व जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन • सर्वे रजिस्टर एवं प्रपत्रों का अवलोकन एवं समीक्षा • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की जनपद पर निर्धारित समय में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समन्वय। • जनपद पर सर्वे हेतु निर्धारित प्रशिक्षण का अनुश्रवण। • निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय शिक्षा निदेशक (बेसिक) को उपलब्ध कराना। • जनपद स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों /बी0आर0सी0 समन्वयकों/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ एक दिन की बैठक पर सर्वे की समीक्षा तथा संकलन की निरन्तर मॉनीटरिंग।
राज्य स्तर	बेसिक शिक्षा से संबंधित समस्त निदेशालयों के उप निदेशक स्तर के अधिकारी	आवंटित जनपद में सर्वे अवधि में जनपद के कम से कम 5 ग्राम सभाओं/वार्डो का एक बार	• सर्वे से पूर्व सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की जनपद स्तर पर उपलब्धता। • सर्वे से पूर्व जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण • अभिलेखों की समीक्षा • सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन का अनुश्रवण • सर्वे का रेन्डम स्थलीय सत्यापन	• सर्वे हेतु निर्धारित प्रपत्रों की जनपद पर निर्धारित समय में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समन्वय। • जनपद पर सर्वे हेतु निर्धारित प्रशिक्षण का अनुश्रवण। • जनपद स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयकों की बैठक कर सर्वे की समीक्षा। • सर्वे के संकलन की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से निरन्तर अनुश्रवण। • निरीक्षण आख्या दो दिन के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।

सर्वे हेतु अनुश्रवण प्रपत्र

अनुश्रवण कर्ता अधिकारी का नाम–

पद नाम–

निरीक्षण की तिथि–

जनपद का नाम–

क्षेत्र	कुल विकास खण्ड/वार्ड	कुल मजरें/बस्ती	सर्वे हेतु लगाये गये अध्यापकों की संख्या	क्या प्रत्येक मजरें/बस्ती हेतु पर्याप्त सर्वेकर्ता है।	सर्वेकर्ता ड्यूटी चार्ट जनपद पर बना है/नहीं	विद्यालय स्तर पर सर्वे प्रपत्र एवं रजिस्टर की उपलब्धता	जनपद स्तर पर प्रशिक्षण की स्थिति	विकास खण्ड स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण की स्थिति	सर्वे के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर कार्य आवंटित करने की स्थिति
ग्रामीण									
नगरीय									
योग									

हस्ताक्षर

बैठक एवं आख्याओं के संकलन की स्थिति

सर्वे हेतु निर्धारित तिथि	प्रत्येक बस्ती में सर्वे प्रारम्भ होने की तिथि	सर्वे की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर बैठकों की बारम्बारता	क्या निरीक्षण आख्याओं का संकलन एवं विश्लेषण प्रतिदिन किया जा रहा है।	सर्वे संकलन हेतु निर्धारित तिथि	सर्वे संकलन की स्थिति	मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद भ्रमण के समय की गयी बैठकों का विवरण

जनपद में अनुश्रवण की स्थिति

क्या ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है	यदि नहीं तो की गयी कार्यवाही	एन.पी.आर.सी. समन्वयकों द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या	एन.पी.आर.सी. द्वारा सत्यापन न किये जाने पर कृत कार्यवाही	बी.आर.सी. समन्वयकों/ ए0बी0एस0ए0/ नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या	सत्यापन न किये जाने पर कृत कार्यवाही	जिला समन्वयकों द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या	सत्यापन न किये जाने पर कृत कार्यवाही	बी0एस0ए0 द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापन की संख्या	ए0डी0 बेसिक द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापन की संख्या	अन्य द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापन की संख्या	कुल स्थलीय सत्यापन की संख्या

हस्ताक्षर

राज्य/मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों का स्थलीय सत्यापन

निरीक्षित विकास खण्ड का नाम	निरीक्षित ग्राम सभा/वार्ड का नाम	सर्वे कर्ता का नाम	क्या सर्वे कर्ता के पास प्रपत्र एवं रजिस्टर उपलब्ध है	कुल परिवारों की संख्या	निरीक्षित परिवारों की संख्या	क्या सर्वे ठीक ढंग से किया जा रहा है	यदि नहीं तो मुख्य कमियों का विवरण	ग्राम सभा/ वार्ड में पूर्व में किये गये निरीक्षणों की संख्या	पूर्व में किये गये निरीक्षण में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति

सर्वे प्रपत्रों के संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण की स्थिति

क्षेत्र	कुल विकास खण्ड/वार्ड की संख्या	संकलन हेतु जनपद पर निर्धारित तिथि	विकास खण्डों /वार्डो की संख्या जिनके प्रपत्र संकलित हो चुके है	जिन विकास खण्डों में प्रपत्र संकलित नहीं हुये उनका कारण	संख्यात्मक विवरण के कम्प्यूटरीकरण की स्थिति	6–14 आयु वर्ग के आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या	कितने बच्चों का नामवार विवरण कम्प्यूटराइज्ड हो गया है।
ग्रामीण							
नगरीय							

निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव

निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर